न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 105/2019

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
सोहनराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी बासनी खारिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।		1. सविता पत्नि सोहनराम जाति जाट निवासी बासनी खारिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर । 2. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री जयन्त बोराणा

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता :– श्री श्यामलाल चौधरी

निर्णय

दिनांक : 30.08.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम पालड़ी सिद्धा की सरहद में भूमि खसरानम्बर 699 क्षेत्रफल 1.892 हैक्टयर आयी है जो अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कब्जाकाश्त की थी। अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी खातेदारी एवं कब्जाकाश्त के खेत में प्रार्थी को जरीये दानपत्र 20.12.2017 को रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा अर्थात क्षेत्रफल 1.892 हैक्टयर का हस्तान्तरण कर दिया था । जिसके पड़ोस इस प्रकार बताया गया कि उत्तर दिशा में अन्य खसरान की भूमि, दक्षिण में मुझ दानदाता अप्रार्थी सं. 1 की शेष भूमि, पूर्व में दानदाता अप्रार्थी सं. 1 की शेष भूमि, तथा पश्चिम में पालड़ी सिद्धा से खारिया खंगार जाने वाली सड़क बतायी गयी तथा उक्त दस्तावेज की एक प्रति पटवारी हल्का को भेजी गयी । जिससे पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण पारित कर दिया गया । प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 द्वारा किया गया जरीये दानपत्र हस्तान्तरण अनुसार कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा दोनो पक्षकारो ने अपना–अपना खेत अलग कर दिया गया तथा कब्जा सुपुर्दगी अनुसार ही आज प्रार्थी काविज है लेकिन राजस्व कर्मचारियो की सदभावी भूल से प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम नही हो सकी । प्रार्थी ने अभी हाल ही में दिनांक 17.08.2019 को ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड की नकल व नक्शा ट्रेस की नकल देखी तो मालूम हुआ कि प्रार्थी के अनुसार विवादित खेत की तरमीम नही हो सकी। जानकारी होते ही प्रार्थी ने तरमीम कब्जा अनुसार करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तब पटवारी हल्का ने कहा कि पहले पुरानी तरमीम निरस्त हुए बिना नयी तरमीम नही की जा सकती है । जो वादकरण आज भी जारी है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित खेत खसरा नम्बर 699/8 के पूर्व में की गयी तरमीम निरस्त कर तरमीक नक्शा अनुसार अ ब स द के कब्जा व दस्तावेज अनुसार प्रार्थी के खेत की तरमीम की जाने के आदेश फरमावें ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ है । अप्रार्थी सं. 1, की ओर से अधिवक्ता पूनम श्यामलाल चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर एडमिटेड जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नजरीये नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी सं. एक को कोई आपति नही है । इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि खसरानम्बर 699 व 699/8 मौके पर खाली पड़ा है एवं किसी प्रकार का निर्माण आदि किया हुआ नही है उक्त दोनो खसरान की भूमि वर्तमान में कृषि उपयोग में आ रही है । खसरा नम्बर 699 व 699/8 के खातेदारो के पति–पत्नि का संबंध है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित खेत खसरा नम्बर 699/8 की पूर्व में की गयी तरमीम निरस्त कर तरमीम संशोधित किया जाना उचित है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए विवादित खेत खसरा नम्बर 699/8 के पूर्व में की गयी तरमीम निरस्त कर तरमीक नक्शा अनुसार अ ब स द के कब्जा व दस्तावेज अनुसार प्रार्थी के खेत की तरमीम की जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. एक ने भी अपने बहस में जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी सं. एक को कोई आपत्ति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाबदावा अप्रार्थी, जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया । दस्तावेजात, जवाब दावा अप्रार्थी एवं जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया जाकर राजस्व ग्राम पालड़ी सिद्धा के खसरा नम्बर 699/8 में पूर्व में की गयी तरमीम को निरस्त कर तरमीम संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदानुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner